

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/अलेसे-III/6556/2013/6614

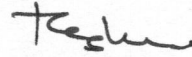
दिनांक :- 13/01/21

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए कॉलम 05 में अंकित अवधि की वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती हैं :-

क. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	वेतन आहरण की अवधि	
1	2	3	4	5	6
1	12945	रवि प्रकाश, कनि. लेखाकार	दिनांक 13.03.2020 से 20.03.2020 तक (दिनांक 14.03.2020 एवं 15.03.2020 का राजकीय अवकाश)	दिनांक 13.03.2020 से दिनांक 20.03.2020 तक	उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, बानसूर, अलवर।

कार्मिक द्वारा दिनांक 16.03.2020 का आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया गया था। अतः कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उनके आकस्मिक अवकाश खाते में इसकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जावे।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एपीओ/अलेसे-III/6556/2013/6614

दिनांक :- 13/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध हैं कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने प वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध हैं कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 06 में अंकित विभाग/कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ लेखाकार।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)